(c) The report of the CAG does not hold him responsible for the cumulative losses refered to in part (a) above. However, the Controller of Accounts and Finance is allegedly involved in the import and sale of dry dates which is currently under regular investigation by the CBI.

भवन निर्माण सामग्री के मूल्यों में वृद्धि

2767. **सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :** क्या शहरी वि[illegible] यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 15 फरवरी, 1989 के "इंडियन एक्सप्रैस में "नो बिल्डिंग वक ऑफ को-आपरेटिव सोसाइटी फार थ्री डेज शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार की ओर दिलाया क्या है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि हाल ही में भवन निर्माण सामग्री के मूल्यों में भारी वृद्धि हुई है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस अतिशय वृद्धि के कारण भवन निर्माण कार्य में भारी बाधा आने की सम्भावना है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने भवन निर्माण सामग्री के मूल्यों में वृद्धि को ब्रेअसर करने हेतु इस सम्बन्ध में कोई प्रभावी कदम उठाए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री ([illegible] चौर सिंह) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

इस्पात के मूल्यों में वृद्धि

2768. **श्री राम जेठमलानी :**

सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यह सच है कि गत कई वर्षों के दौरान इस्पात के उत्पादन में निरन्तर वृद्धि के बावजूद, सरकार ने इस वर्ष भी इस्पात के मूल्यों में वृद्धि की है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस्पात के मूल्यों में यह वृद्धि कोयले के मूल्यों, बिजली की दरों और परिवहन लागत में भारी वृद्धि के कारण की गयी है;

(ग) वर्तमान मूल्य वृद्धि से पहले, गत तीन वर्षों के दौरान कितनी मूल्य वृद्धि की गयी थी; और

(घ) उपरोक्त प्रत्येक कारण की वजह से इस्पात के उत्पादन पर कितना वित्तीय बोझ डाला गया है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री माखन लाल फोतेदार) : (क) और (ख) कोयला के मूल्यों, विद्युत दरें, भाड़े की दरों और उत्पाद शुल्क तथा अन्य करों जैसे आदानों की लागत में वृद्धि होने के कारण संयुक्त संयंत्र समिति [illegible] के मूल्यों में वृद्धि करनी [illegible]।

(ग) उपभोक्ता की औसत के आधार पर इस्पात की विभिन्न श्रेणियों के मूल्यों में वृद्धि निम्नानुसार है :—

(i) मार्च 85 से नवम्बर 87 तक	कोई वृद्धि नहीं।
(ii) दिसम्बर 87	520 रुपये से 3220 रुपये प्रति टन के बीच वृद्धि। (तथापि, .5, .4, और .35 मि. मी. आकार की जस्ती सादी/जस्ती नालीदार चादरों के मूल्यों में वास्तव में क्रमशः 990 रु., 1670 रु. और 1670 रु. प्रति टन के हिसाब से कमी की गई थी।
(iii) मार्च, 88	20 रुपये से 45 रुपये प्रति टन के बीच वृद्धि।
(iv) जनवरी, 89	300 रुपये से 1650 रुपये प्रति टन के बीच वृद्धि।

(घ) उत्पादन की लागत के ब्यौरे देना वाणिज्यिक हित में नहीं होगा ।

Setting up of sugar factories in Maharashtra

2769. DR. RATNAKAR PANDEY:
SHRIMATI RATAN KUMARI:

Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state:

(a) *the details of the licences issued by* Government in Maharashtra for setting up of sugar factories both in private sector and to cooperative societies during the last two years; and

(b) the partiuulars of the co-operative societies to whom such licences have been issued?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (SHRI D. L. BAITHA): (a) and (b) During the three sugar years, namely, 1986-87, 1987-88 and 1988-89 *(upto 28-2-1989), the Central Govern*ment have issued letters of intent to the following co-operative societies only for setting up of sugar factories of 2500 TCD each in the State of Maharashtra:—

	Name of co-operative society	Date of grant of letter of intent
(1)	M/s Shri Sant Muktabai SSK Ltd., Kund, Tehsil Edlabad, Distt. Jalgaon .	11-2-1988
(2)	M/s. Amba SSK Ltd., Anjangaon (Surji), Distt. Amravati . . .	14-3-1988
(3)	M/s. Shivshakti Adivasi & Megaswargiya SSK Ltd., Pahurzira, Tehsil Shegaon, Distt. Buldana	31-8-1988
(4)	M/s. Deogiri SSK Ltd., Savan i, Distt. Aurangabad	1-12-1988
(5)	M/s. Jarandeshwar SSK Ltd., Bombale-Satewadi, Distt. Satara . .	17-1-1989
(6)	M/s. Narsinha SSK Ltd., Lohgaon, Distt. Parbhani	8-2-1989

Loss to NCCF due to shortage of stock

2770. SHRI BIR BHADRA PRATAP SINGH:
SHRI ISH DUTT YADAV:
SHRI VIRENDRA VERMA:

Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state:

(a) whether the Comptroller and Auditor General of India in its report on NCCF (No. 13 of 1988) have highlighted that shortage of stock valued Rs. 68.03 lakhs were noticed during 1983-84 to 1985-86 but no responsibility was fixed by the federation;

(b) if so, the officers responsible for causing these huge shortages and the reasons for not holding the enquiry to fix responsibility, in this regard till now;

(c) the extent of the [illegible]t of the then C.A.F. in hushing up the facts before the Management and thus shielding the guilty officer, so far; and

(d) what disciplinary actions were proposed to be taken against the involved officers including the then C.A.F.?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (SHRI D. L. BAITHA): (a) The CAG in his report for the years 1983-84 to 1985-86 has reported three instances of stock shortages during these years aggregating to Rs. 67.34 lakhs.

(b) The NCCF have reported that responsibility is being fixed for the shortages and some recoveries have also been made.

(c) NCCF have also reported that no such instance has come to their notice.